संख्या-161/2025/ I/1176538/2025/71-1002/76/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 17 दिसम्बर, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में ओवर हेड विद्युत लाईनों को अपग्रेड एव केन्द्रीयकृत कराये जाने सम्बन्धी कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2025-26/362, दिनांक 02.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में ओवर हेड विद्युत लाईनों को अपग्रेड एवं केन्द्रीयकृत कराये जाने सम्बन्धी कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-में 26 -अनुदान संख्या31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-4200-राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी हेतु मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में प्रावधानित बजट रू1548 0.लाख के सापेक्ष द्वितीय 00 355 0 के रूप में रूकिश्त.लाख की धनराशि अवमुक्त किये जा 62ने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-74/2025/I/917496/2025/71-1002/76/2023 दिनांक 26.03. द्वारा 2205राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में ओवर हेड विद्युत लाईनों को अपग्रेड एवं केन्द्रीयकृत कराये जाने संबंधी कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 1344.17 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार परियोजना हेतु रू0 844.17 लाख की धनराशि अवमुक्त किया जाना शेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में ओवर हेड विद्युत लाईनों को अपग्रेड एवं केन्द्रीयकृत कराये जाने संबंधी कार्य** हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-42-राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से परियोजना की द्वितीय किश्त के रूप में **रू0 355.62 लाख (रू0 तीन करोड़ पचपन लाख बासठ**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एंव विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर एवं बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-74/2025/।/917496/2025/71-1002/76/2023 दिनांक 26.03.2025 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,55,62,000 (रुपये तीन करोड़ पचपन लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054200 मेडिकल कालेज झांसी **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

संख्या:-उपर्युक्तानुसार/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।